न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1039/2026
अररिया थाना कांड संख्या– 169/2026

साजन नाज..... आवेदिका
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

27-05-2026 आवेदिका/अभियुक्ता साजन नाज, पिता–राहिद की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो अररिया थाना कांड संख्या–169/2026, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री मनताश अफताब एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका कौशर खातून के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक 31.03.2026 को समय लगभग 12:30 बजे दिन में वह बाथरूम से जैसे ही निकली कि साजन नाज ने उसे गंदी–गंदी गाली–गलौज देते हुए धक्का–मुक्की करने लगी। समय लगभग 03 बजे दिन में वह अपने लड़का मो0 मुनाजीर एवं 04–05 लड़को को बुला लिया। सभी लड़के लाठी–डंडा, धारदार हथियार से लैश होकर आया और गाली–गलौज देते हुए लात–मुक्का, फाईट से बेरहमी से मारपीट किया। मो0 मुनाजिर ने लोहे का सरिया से उसके पति के सिर में जानलेवा प्रहार किया, जिससे वह जख्मी हो गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदिका द्वारा पूर्व में इस आवेदन के अलावे कोई भी अग्रिम यानियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदिका के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदिका को साझा बाथरूम के उपयोग से संबंधित एक छोटे से विवाद से उत्पन्न व्यक्तिगत शत्रुता के कारण दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के बयान में चोट की प्रकृति और कथित रूप से इस्तेमाल किये गये हथियार के संबंध में काफी विरोधाभाष है। सूचिका द्वारा अवैध रूप से ताले बदलना, याचिकाकर्ता को बेदखल करना और सामान तक पहुंच को रोकना स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदिका प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जख्म जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि जख्म साधारण प्रकृति का है। आवेदिका के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदिका का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदिका को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदिका को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।